कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–1332/11–सी–FP/UP/Trans/140402/2021, लखनऊ, दिनांकः अक्टूबर 12 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–2690/11–सी–FP/UP/Trans/140402/2021, दिनांक 24.03.2022 एवं आपका पत्रांक–1194/मी0क्षे0/33, दिनांक 26.09.2022

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा इंगित की गयी कमियों का बिन्दुवार निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26.09.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

1. हार्डकापी भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित विवरण आदि का पुनः उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विवरण का उल्लेख करते हुये पूर्ण हार्डकापी भाग–2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में संलग्न उपयुक्तता प्रमाण पत्र, पृष्ठ सं0–53 पर संलग्न संलग्नक–30 तथा प्रभागीय वनाधिकारी के DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में CA का नाम, विवरण व Compartment No संलग्न Geo Referenced Digital Map में उल्लेख किये गये विवरण से भिन्न है। अतः सही उपयुक्तता प्रमाण पत्र, संलग्नक–30 तथा DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न CA स्थल का Geo Referenced Digital Map पुनः रंगीन व मूल में संलग्न नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव में रंगीन Geo Referenced Digital Map मूल में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
4. प्रस्ताव में CA स्थल की टोपोशीट पर लीजेण्ड गलत अंकित है। अतः सही लीजेण्ड अंकित कर संशोधित टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
5. प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की पुनः अलग–अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–1332/11–सी–FP/UP/Trans/140402/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट–सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1277